25/02/2023

अपीलकर्त्ता-शे0 बीबी अजीमा

बनाम्

उत्तरवादी- तुराब अली वगै0

-: आदेश :-

प्रस्तुत अपील विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित म्यूटेशन अपील नं0-04/06-07 बीबी अजीमा बनाम् शेख तुराब अली वगैरह में दिनांक-16.02.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने पुनरीक्षण आवेदन संख्या-20/2013 श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया था जिसे दिनांक-15.05.2013 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना गया, दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता का कथन है कि खतियानी रैयत शेख पोसन उभय पक्ष के पूर्व थे। उत्तरवादी तुराब अली ने मौजा सुखाड़ी, खाता नं0-3, दाग नं0-17, 169, 187, 212, 428 एवं 219 रकवा 06-07-03 धुर वो कुमरडोय खाता नं0-55, दाग नं0-251, रकवा 00-04-15 धूर वो मौजा-मसूरया खाता नं0-02 दाग नं0-274, 312 एवं 363 रकवा 03-19-07 धुर जमीन अपने नाम से नामान्तरण करने हेतु यह कहते हुंए आवेदन दिया कि उनके एवं अपीलकर्त्ता के मध्य पैत्रिक भूमि का बटवारा पारिवारिक समझौता डीड नंम्बर- 181/ 1990 के अनुसार हो चुका है एवं आवेदित भूमि उनके हिस्से एवं कब्जे में है।

अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि खतियानी रैयत शेख पोसन उभय पक्ष के पूर्वज थे। तुराब अली को शेख पोसन की जायदाद मे कोई हिस्सा नही है। शेख सज्जाद अपने पिता शेख छेदी से पूर्व ही मर चुके थे। वस्तुतः शेख सज्जाद का वर्ष 1958 ई0 में एवं शेख पोसन का वर्ष 1974 ई0 मे देहान्त हुआ। मु0 तुराब अली ने अपने आवेदन मे शेख पोसन, शेख छेदी वो शेख सज्जाद के मृत्यु की तिथि का उल्लेख नही किया है। तुराब अली ने जाली बंटवारानामा डीड संख्या-181/1990 तैयार किया गया था। उक्त डीड में अपीलकर्त्ता एवं सुराब अली के मध्य बटवारा का कोई उल्लेख नही है। बंटवारानामा में विपक्षी का नाम ही नही है। बाद में जोड़ा गया है। अपीलकर्त्ता के पक्ष में कोई हिस्सा नही दर्शाया गया है जबकि बीबी जुलिया को अपने मृतक पति की जायदाद में हिस्सा मिलेगा उसके पश्चात् ही अन्य पक्षकारों में बंटवारा होगा। अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि नामांतरण वाद में उसे न तो पक्षकार बनाया गया और न ही नोटिश का तामिला कराया गया। कर्मचारी एवं कार्यालय के अन्य कर्मियों की मिलिभगत से गलत ढंग से नामांतरण कराया गया है। तुराब अली के आवेदन एवं नामांतरण आवेदन में प्रत्येक दाग नं0 का विवरण नही है और न ही दाग नं0 की चौहद्दी का उल्लेख है। आगे उल्लेख करते है कि जुलाई 2006 में कैम्प के दौरान विपक्षी ने उल्लेखित

नामांतरण वाद मे कुछ कागजात समर्पित किया तो उस दरमियान अपीलकर्त्ता को जानकारी मिली जिसकी छानबीन के उपरान्त दिनांक-10.08.2006 को नकल आवेदन दिया जिसकी सत्यापित प्रति दिनांक-18.08.2006 को प्राप्त हुई। अपील दायर करने में हुए विलम्ब के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत निम्न न्यायालय में अलग से आवेदन दिया गया। अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नामांतरण वाद संख्या-61/1998 में पारित आदेश दिनांक-12.11.1998 को निरस्त करने की प्रार्थना करते है।

वही विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस दाखिल करते हुए अपने बहस मे कहा है कि पारिवारिक निबंधित बंटवारानामा संख्या- 181/1990 के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये है। आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी नं0-01 दोनो एक ही खतियानी रैयत शेख पोसन के वंशज/ वारिसान है। बीबी अजीमा का यह कहना कि विपक्षी नं0-01 तुराब अली के पिता शेख सज्जाद की मृत्यु पिता शेख छेदी वो दादा शेख पोसन जमाबंदी रैयत के जीवन काल मे ही 1958 ई0 में हो गई है इसलिए विपक्षी का हिस्सा मुस्लिम लॉ के अनुसार नही होता है। जबकि विपक्षी नं0-01 तुराब अली के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में वर्णित तुराब अली का जन्म तिथि 01.08.1960 अंकित है इस प्रकार आवेदिका का दावा सरासर गलत एवं बेबुनियाद है। आवेदिका का यह कहना कि शेख पोसन जमाबंदी रैयत की मृत्यु वर्ष-1974 ई0 में हुई जबकि अपीलकर्त्ता के द्वारा ही विविध वाद संख्या-1019/06 में पोसन की मृत्यु वर्ष-1965 दर्शाया गया है। आगे उल्लेख करते है कि पारिवारिक बंटवारा निबंधन संख्या-181/1990 दिनांक-30.01.1990 को हुआ। पारा-2 मे शेख पोसन जमाबंदी रैयत की मृत्यु 25 वर्ष पहले बतलाया गया है। जिस पर गवाह के तौर पर शेख ताजुद्दीन प्रधान का हस्ताक्षर अंकित है। स्पष्ट है कि शेख पोसन की मृत्यु 1965 में हुई है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का यह कहना कि शेख पोसन की मृत्यु 1974 में हुई है जो सरासर गलत एवं बेबुनियाद है। दरअसल आवेदिका के पास शेख पोसन की मृत्यु का कोई लिखित प्रमाण नही है आवेदिका द्वारा सिर्फ मौखिक एवं मनगढंत वकतब्य दिया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे उल्लेख किया है कि निबंधित पारिवारिक बंटवारा आवेदिका बीबी अजीमा के पिता शेख हनीफ वो विपक्षी नं0-01 तुराब अली एवं जमाबंदी रैयत शेख पोसन के नाती शेख इस्माईल के बीच 30.01.1990 के द्वारा हुआ है इसलिए पारा-7 में आवेदिका का यह कहना कि मुझे मुटेशन केस में पार्टी नही बनाया गया सरासर गलत वो बेबुनियाद आरोप है। विपक्षी का यह भी कहना कि मुटेशन केस की जानकारी नही थी इसकी जानकारी जुलाई, 2006 में हुई जो सरासर गलत है। क्योकि मुटेशन केस में मौजा के 16 आना रैयत को नोटिश तामिला कराया गया था इस पर दोनो पक्षों को कोई आपत्ति नही हुई बाद में विपक्षी नं0-01 के हिस्से की जमीन को हड़पने की नियत से बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। आगे उल्लेख करते है कि आवेदिका के द्वारा यह कहना कि मुटेश की जानकारी नही थी इसकी जानकारी कैम्प कोर्ट मे

वर्ष-2006 को हुई और इसी वजह से मुटेशन अपील संख्या-04/2006-07 फाईल करने में देरी हुआ। देरी से केस फाईल करने के संदर्भ में परिसिमन अधिनियम 05 के तहत् दाखिल आदेवन संतोषजनक नही है। आवेदक के द्वारा संबंधित बंटवारानामा डीड की वैधता को चुनौती दी है और जबतक व्यवहार न्यायालय द्वारा उक्त डीड को अवैध घोषित करार नही कर दिया जाता तबतक डीड प्रभावी रहेगा और जबतक डीड प्रभावी रहेगा मुटेशन खारिज नही हो सकता है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि आवेदिका के द्वारा बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दिनांक-27.10.2006 को विषयगत भूमि से संबंधित एम0पी0 केस नं0-1019/2006 दायर की थी जिसमें सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी ने दिनांक-31.07.2010 को संबंधित बंटवारानामा 181/1990 के आलोक में आवेदिका के दावे को खारिज किर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने पुनः बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में सेटलमेंट सिविजन वाद संख्या 58/12 दायार किया गया है जो वर्त्तमान में विचाराधीन है इस प्रकार एक ही पक्षकर के बीच हक एवं अधिकार के लिए दो अलग-अलग न्यायालय में एक समय पर सुनावाई नही हो सकती क्योकि दोनो कोर्ट के आदेश में भिन्नता आने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः आवेदिका के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं के बहस को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस के उपरांत दाखिल कागजात के अवलोकन के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि निम्न न्यायालय में निबंधित बटवारानामा 181/1990 को आधार मानकर नामान्तरण आदेश पारित किया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित बहत एवं कथनी के अलावा कोई ठोस साक्ष्य या आधार इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में MP Case 1019/06 दायर किया गया था जिसमें सहा0बंदो0पदा0, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत किया गया है। पुनः अपीलकर्त्ता द्वारा बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में सेटलमेंट रिविजन नं0-58/12 दायर किया है जो वर्त्तमान में विचाराधीन है। अतः वर्त्तमान स्थिति में अधोहस्तक्षरी के स्तर से हस्तक्षेप करना या कोई उचित आदेश पारित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत नही होता है। अतएव वर्त्तमान अपीलवाद समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.06.10 14:38:50 +05:30
Location: 192.168.1.2

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।